FORM N0 IH

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग

भगवान सिंह **बनाम** भूपेन्द्र सिंह वगै0

मुकदमा किस्मः– अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, नम्बर :– 80 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.10.2024	सायल के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. पर सायल के विद्वान वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। सायल के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं क्षति सायल के पक्ष में प्रतीत होती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए दर्ज रजिस्टर किया जावे। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व गैर सायलान इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 4749/0.15, 8982/4741/0.17, 8971/4680/0.25,वाके ग्राम बहज द्वितीय तहसील डीग में स्थित आराजीयात पर रिकार्ड व मौका की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु गैर सायलान संख्या 01 व 02 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.11.2024 तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। गैर सायलान की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस से कराई जावे। यदि उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में किसी को कोई उज्र हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करें। आयन्दा पत्रावाली वास्ते तलवी गैर सायलान रजिस्टर्ड ए.डी.कराई जाकर दिनांक 26.11.2024 को पेश हो। (देवी सिंह) उपखण्ड अधिकारी डीग	
13/11/24	[illegible] 15-10-24 [illegible] उपखण्ड अधिकारी डीग (डीग) राज.	[illegible] 13/11/24